



The Deve Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002

Act 4 of 2002

Keyword(s):

Academic Council, Constituent College, Council For Technical Education, Distant Education System, Faculty, Hall, Shri Vedmata Gayatri Trust, Other Backward Classes Of Citizens

Amendment appended: 6 of 2002

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, २००२

(अधिनियम संख्या ०४ वर्ष २००२)

राज्य में श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तरांचल द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने एवम् उससे सम्बन्धित, या आनुषांगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

१.

- (१) यह अधिनियम देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, २००२ कहा जायेगा।
(२) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

२.

- (१) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-
- (क) 'शैक्षिक परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शैक्षिक/विद्या परिषद् से है;
- (ख) 'घटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;
- (ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, १९८७ की धारा ३ के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;
- (घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति से है;
- (च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारीवृन्द भी हैं;
- (छ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;
- (ज) 'हॉल' अथवा 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है, जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो, या मान्यता प्राप्त हो;
- (झ) 'श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट' का तात्पर्य शांतिकुञ्ज, हरिद्वार, उत्तरांचल स्थित पंजीकृत पूर्त न्यास से है;
- (ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग के नागरिकों से है;

- (ठ) 'विहित' का तात्पर्य 'परिनियमों द्वारा विहित' से है;
- (ड) किसी घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ प्राचार्य न हों, वहाँ उप-प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;
- (ढ) 'परिनियमों' और 'नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावली से है;
- (त) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;
- (थ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय से है;
- (द) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

अध्याय-२

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

३. (१) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा। विश्वविद्यालय की स्थापना
- (२) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापना के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात्:-
 - (क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा, जितना कि वह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवश्यक समझे;
 - (ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;
 - (ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;
 - (घ) परिनियमावली और नियमावली बनायेगा; और
 - (च) ऐसी अन्य शर्तें, जैसी राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा की जाय।
- (३) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार ने उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है, वहाँ राज्य सरकार श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी।
- (४) उपधारा (३) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा।

- (५) देवसंस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्यालय शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल में स्थित होगा और वह अपनी अधिकारिता के अन्दर ऐसी अन्य जगहों पर भी अपने चिवेश स्थापित कर सकती है।
- (६) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल के सदस्य, प्रबंध मण्डल और विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद-धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे।
- (७) उपधारा (४) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियाँ, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट हरिद्वार की सम्पत्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी।
- (८) विश्वविद्यालय द्वारा अधिगृहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का जिस निमित्त अधिगृहीत है, उसके अलावा किन्हीं अन्य प्रयोग के निमित्त परिवर्तन नहीं किया जायेगा,

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

४. विश्वविद्यालय राज्य सरकार से, या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता अनुदान, या कोई अन्य वित्तीय सहायता की कोई माँग नहीं करेगा और नहीं उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

५. विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

६. विश्वविद्यालय के उद्देश्य:-जिन उद्देश्यों के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वे इस प्रकार हैं :-

- (क) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य देवसंस्कृति के सभी मौलिक तत्त्वों के व्यापक अध्ययन-शिक्षण एवं आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इनके शोध-अनुसंधान का सुव्यवस्थित तंत्र खड़ा करना है और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के अपने आदर्श सूत्र के अनुरूप इसके द्वारा बिना किसी भेदभाव के समूचे देश एवं विश्व भर में फैली समूची मानव जाति को लाभान्वित करना है।

देवसंस्कृति का सही अर्थ देवभूमि भारत के ऋषियों, संतों एवं मनीषियों द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों, परम्पराओं एवं प्रयोगों में निहित है। इन्हें अपनाकर मनुष्य सहज ही अपने दैवी एवं दिव्य गुणों को विकसित कर सकता है।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्य के मूल बिन्दु निम्न होंगे, जिनमें :-

१. साधना का अर्थ है-मानव चेतना में आदर्शोन्मुखी चिंतन एवं प्रवृत्तियों के विकास-सम्बन्धी प्रयोग एवं शिक्षण।

२. स्वास्थ्य के अंतर्गत मनुष्य के स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक जीवन के लिए आयुर्वेद सहित अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विधियों पर गहन शोध, शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था जुटायी जाएगी।

३. शिक्षा के अन्तर्गत मानव जीवन के सभी आयामों को दैवी जीवन के अनुरूप प्रशिक्षित करने वाले दार्शनिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा।

४. स्वावलम्बन के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा जो 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की नीति का पालन करते हुए युवा पीढ़ी को मूल्यनिष्ठ, स्वावलम्बी एवं सुखी बना सके और साथ ही पर्यावरण के भी अनुकूल हों।

- (ख) शिक्षण की सभी अप्रतिखित शाखाओं में अनुदेश - मानविकी, यज्ञ चिकित्सा पद्धति, मंत्र विज्ञान, आयुर्विज्ञान जिसमें आयुर्वेद और उत्तरांचल में पाये जाने वाले प्राणी-जगत पर विशेष बल हो, वेदों का अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, यज्ञ चिकित्सा पद्धति, ग्रामीण एवं शहरी विकास जिसमें उत्तरांचल की संस्कृति का ध्यान रखा गया हो, यान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी जिनमें प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन, उद्यमकर्मिता, विकास प्रशिक्षण के जरिये स्वरोजगार जिसमें उत्तरांचल और उसकी जलवायु एवं भूगोल पर विशेष बल हो, छात्र और छात्राओं दोनों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी। छात्रों के बीच भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय विशेष प्रावधान करेगा।
- (ग) शिक्षण की वैसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित सपझे, में अनुदेश एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (घ) ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिये अनुसंधान की व्यवस्था करना।
- (ङ) समाज के सांस्कृतिक विकास में योगदान देने के लिये पाठ्येतर अध्ययन एवं अन्य क्रियाकलापों का जिम्मा लेना।
- (च) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोत्त करने के लिये ऐसे सारे कार्य एवं संक्रियाओं, जो कि आवश्यक या साध्य हों, को करना।

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

- (क) भारतीय संस्कृति, मानविकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सहबद्ध क्षेत्रों की सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान एवं ज्ञान-अभिवर्धन और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना; विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
- (ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित एवं प्रदान करना;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने—
- (अ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या
- (ब) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध-कार्य किया हो;
- (घ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (च) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र-सहायता वृत्तियाँ तथा पारितोषिकों को संस्थित एवं प्रदान करना;
- (छ) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो यथास्थिति परिनियमों या अधिनियमों द्वारा नियत किये जायें;

- (ज) खण्ड (6) में उल्लिखित भारतीय संस्कृति और सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
- (झ) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर क्रिया-कलापों की व्यवस्था करना;
- (ट) विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (ठ) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शान्तिकुब्ज, हरिद्वार की पूर्व अनुमति के उपरान्त विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियाँ, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;
- (ड) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;
- (ढ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था करना;
- (त) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;
- (थ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;
- (द) दूरस्थ शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करना;
- (ध) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, विचार-गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना।
- (न) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के मानक अवधारित करना;
- (प) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिये विशेष उपबंध करना;
- (फ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों/ अधिकारियों की सेवा-शर्तों को अधिकथित करना;
- (ब) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषांगिक हों या न हों।
- (भ) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्य उपाधि के ऐसे ही पाठ्यक्रम रखना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आच्छादित हो, परन्तु डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि दिये जाने के संबंध में अपना पाठ्यक्रम लागू करने हेतु विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता होगी।

(म) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को ट्रस्ट की अन्य गतिविधियों से अलग रखा जायेगा।

८. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा भले ही वे किसी वर्ग, पंथ या लिंग के हों: विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, जातियों, मतों एवं लिंगों की पहुँच होगी

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है;

परन्तु अग्रेतर यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है।

९. ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, से भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्यतः छात्र निवास (हॉल/छात्रावास) में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा नियमावली द्वारा विहित किये जायें। छात्रों का आवास

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

१०. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रति-कुलाधिपति;
- (घ) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (च) कुल सचिव;
- (छ) वित्त अधिकारी; और
- (ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

११. (१) डॉ. प्रणव प्रण्ड्या, ट्रस्टी, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार, उत्तरांचल, निदेशक, ब्रह्मवर्चस् शोध संस्थान और प्रमुख, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा तत्पश्चात् वेदमाता गायत्री ट्रस्ट अपने ही ट्रस्टियों में से राज्य सरकार की पूर्व सहमति से पुनः कुलाधिपति नियुक्त करेगी। कुलाधिपति
- (२) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जाय।
- (३) प्रत्येक मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्वधीन होगा।
- (४) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रतिनिधायन कर सकेगा।

१२. (१) कुलाधिपति द्वारा उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों की नाम-सूची में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, नामतः :-

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार के सचिव, उच्च शिक्षा;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल के तीन नामनिर्देशिनी, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायगा।

(३) समिति योग्यता के आधार पर उपकुलाधिपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन सदस्यों के नामों की एक नाम-सूची तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

कुलपति

(४) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(५) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(६) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(७) कुलाधिपति सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाये जाने में सशक्त हैं। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर, कुलपति को निलम्बित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रति-

कुलपति

१३. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाय और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों में विहित किये जायें।

संकायों के
संकायाध्यक्ष

१४. संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों में विहित किये जायें।

कुल सचिव

१५. (१) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी की विहित की जाएँ।

(२) कुलसचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

- (३) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।
- (४) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।
१६. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग, अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें, या कुलाधिपति, या कुलपति, या कुल-सचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।
१७. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों को नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तों और शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

१८. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, :-
- (क) व्यवस्थापक मण्डल;
- (ख) प्रबन्ध मण्डल;
- (ग) शैक्षिक (विद्या) परिषद;
- (घ) वित्त समिति; और
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएँ।
१९. (१) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:-
- (अ) कुलाधिपति अध्यक्ष
- (ब) कुलपति सदस्य-सचिव
- (स) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार द्वारा नामित पाँच व्यक्ति।
- (द) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव
- (य) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित सदस्य
- (र) कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षाविद्।
- (ल) उत्तरांचल विधान सभा के तीन मा. विधायक गण।
- (२) व्यवस्थापक मण्डल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी:-
- (क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन करना;

- (ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;
- (घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों को संशोधित या निरसित करना;
- (च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
- (छ) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना; और
- (ज) एक या अधिक पर्यवेक्षक नामित करना, जो कि समय-समय पर कुलाधिपति की सलाह एवं निर्देशों के अन्तर्गत नीति एवं ढाँचा निर्धारित करेगा/करेंगे, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद्, वित्त समिति एवं अन्य ऐसे प्राधिकरण जो कि परिनियमों द्वारा घोषित हों, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए कार्य करेंगे एवं प्रस्ताव पारित करेंगे।

प्रबन्ध मण्डल

(३) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे।

(१) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित होंगे:-

- (अ) कुलपति;
- (ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामित व्यक्ति
- (स) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार द्वारा नामित पाँच व्यक्ति
- (द) विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक, प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से,
- (य) कुलाधिपति द्वारा संकायों के दो नामित संकायाध्यक्ष;
- (र) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित सदस्य संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो;

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति तथा कुल सचिव प्रबन्ध मण्डल का सचिव

होगा

(२) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो विहित किये जायें।

शैक्षिक (विद्या) २१.
परिषद्

(१) शैक्षिक (विद्या) परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

- (अ) कुलपति सभापति
- (ब) कुल सचिव सचिव
- (स) अन्य सदस्य - परिनियमों में विहित किये जायें।

(२) शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति २२.

(१) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

- (अ) कुलपति सभापति
- (ब) वित्त अधिकारी

- (स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे न हो।
- (द) ऐसे अन्य सदस्य, जो विहित किये जायें;
- (२) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्वधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी एवं विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी।
२३. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें। अन्य प्राधिकारीगण
२४. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी। रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

अध्याय-पाँच

परिनियम और नियमावली

२५. इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे:- परिनियम
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य-सम्पादन की और ऐसी इकाइयों के गठन की, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, प्रक्रिया;
- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया;
- (ग) कुलपति, कुल-सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की सेवा, शर्तें उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;
- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें;
- (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;
- (छ) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना;
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (झ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (ट) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के संबंध में उपबन्ध;
- (ठ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया;
- (ड) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क;
- (द) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस, माफ़ी, पदकों और पारितोषकों को संस्थित करना;
- (त) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया;

- (थ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो, या जो विहित किये जायें।
- परिनियम २६. (१) परिनियम श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुंज, हरिद्वार द्वारा बनाए जायेंगे और
कैसे बनाए जायेंगे इस प्रकार बनाए गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, परिनियमों की प्राप्ति की दिनांक के तीन माह के भीतर अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (२) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिनियमों के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।
- परिनियम में संशोधन करने की शक्ति अधिनियम २७. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा, या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
२८. इस अधिनियम, नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियमावली में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन होना और इस रूप में बने रहना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या-संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
- (घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;
- (च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसूचकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली शुल्क;
- (ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जायें।
- प्रथम नियमावली २९. (१) नियमावली श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुंज, हरिद्वार द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गयी नियमावली राज्य सरकार की उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उपान्तर के साथ, या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (२) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियमावली के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

३०. राज्य सरकार के अनुमोदन के अधधीन रहते हुए और प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, नियमावली को शैक्षिक परिषद् नये या अतिरिक्त नियमावली बना सकेगी, या नियमावली को संशोधित, संशोधित करने या निरसित कर सकेगी। की शक्ति

अध्याय-छः

प्रकीर्ण

३१. (१) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी। कर्मचारियों की सेवा शर्तें
- (२) विश्वविद्यालय, परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार, छात्रों या कर्मचारीवृन्द के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने में सशक्त होगी।
- (३) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर आर्बिट्रेशन अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।
- (४) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (५) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।
३२. विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही परिनियमों के अनुसार होगी। छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
३३. विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मंडल को, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मंडल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा। अपील करने का अधिकारी
३४. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे। भविष्य एवं पेंशन निधियाँ
३५. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद
३६. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधधीन, समितियों समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, या समस्त सदस्य, या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे। का गठन

- आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति ३७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।
- सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण ३८. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अधिनियमों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए तत्पर है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।
- संक्रमणकालीन उपबन्ध ३९. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी, :-
- (क) प्रथम कुलपति एवं प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;
- (ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;
- (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में ग्यारह से अनधिक सदस्य, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, होंगे;
- (घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम शैक्षिक परिषद का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।
- स्थायी विन्यास निधि ४०. (१) विश्वविद्यालय कम से कम एक करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता।
- (२) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;
- (३) विश्वविद्यालय सामान्य निधि, या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा; किन्तु स्थायी विन्यास निधि की राशि को विश्वविद्यालय के विघटन की दशा छोड़कर किसी भी दशा में अन्तरित करना प्रतिबंधित होगा।
- (४) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट धनराशि से प्राप्त आय का अधिकतम ७५ प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा विकास कार्यों के लिए व्यय किया जा सकेगा जैसा कि धारा-४२ (च) में उपबंधित है। शेष २५ प्रतिशत आय स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित की जा सकेगी।
- सामान्य निधि ४१. (१) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी :-
- (क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाये;
- (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;
- (ग) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुब्ज, हरिद्वार द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।
- (२) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायगा।
४२. (१) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि विकास निधि जमा की जायेगी, :-
- (क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;
- (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;
- (ग) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार द्वारा किये गये सभी अंशदान;
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और
- (च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।
- (२) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।
४३. धारा ४०, ४१ और ४२ के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा। निधि का
अनुरक्षण
४४. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायगा। वार्षिक
प्रतिवेदन
- (२) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ, या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।
- (३) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
४५. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका वितरण या संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्रविष्टि की जायेगी। लेखा और
सम्परीक्षा
- (२) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की सम्परीक्षा ऐसे न्यूनतम दो सम्परीक्षकों द्वारा प्रति वर्ष की जायेगी, जो Indian Institute of Chartered Accountant के सदस्य हों।
- (३) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

- (४) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

विश्वविद्यालय के
अभिलेख को सिद्ध
करने की रीति

४६. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी पंजिका की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल-सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के, या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

श्री वेदमाता
गायत्री ट्रस्ट का
विघटन

- (१) यदि श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार, अपने संगठन या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है, तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देगा।
- (२) विश्वविद्यालय के प्रबन्धन तंत्र में कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों के परिलक्षित होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को दिशा-निर्देश जारी करेगी। जिनका अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- (३) उपधारा (१) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं यू.जी.सी. से परामर्श करके, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार के विघटन के दिनांक से, और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाये।

श्री वेदमाता गायत्री
ट्रस्ट के विघटन के
दौरान विश्वविद्यालय
का व्यय

- (१) धारा ४७ के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन में होने वाले व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।
- (२) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

४९. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

- प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।
- (२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रख जायेगा।
५०. श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को इस विधेयक द्वारा निरसित समझा जायेगा।

(सुरजीत सिंह बरनाला)

राज्यपाल, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(आर० पी० पाण्डेय)

सचिव।

No.123/Vidhayee & Sansadiya Karya/2002

Dated Dehradun, April 11, 2002

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 04 of 2002)

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10th April, 2002.

The Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002

(Act No. 04 of 2002)

An

ACT

to establish and incorporate a University sponsored by Shri Ved-mata Gayatri Trust, Shantikunj, Haridwar in the state and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted in the fifty third year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER - I

Preliminary

- | | | | |
|------------------------------|----|-----|--|
| Short title and commencement | 1. | (1) | This Act may be called the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002. |
| | | (2) | It shall be deemed to have come into force on the date, the Notification is issued by the State Government. |
| Definitions | 2. | (1) | In this Act, unless the context otherwise requires,- |
| | | (a) | "Academic Council" means the Academic Council of the University; |
| | | (b) | "Constituent college" means a college or institution maintained by the University. |
| | | (c) | "Council for Technical Education" means the All India Council for Technical Education established under section (3) of the All India Council for Technical Education Act, 1987; |
| | | (d) | "Distant education system" means the system of imparting education through any means of communication such as broadcasting, telecasting, correspondence course, seminar, contact programme or a combination of any two or more such means; |
| | | (e) | "Employee" means employee appointed by the University; and includes teachers and other staff of the University or a constituent college; |
| | | (f) | "Faculty" means faculty of the University; |
| | | (g) | "Hall" means a unit of residence for students maintained or recognized by the University or a constituent college; |
| | | (h) | "Shri Vedmata Gayatri Trust" means a registered charitable trust at Shantikunj, Haridwar, Uttaranchal. |
| | | (i) | "Other backward classes of citizens" means the backward Classes of citizens specified by the State of Uttaranchal; |
| | | (j) | "Prescribed" means prescribed by the statutes; |

- (k) "Principal" in relation to a constituent college, means the Head of the constituent college and includes, where there is no principal, the vice principal or any other person for the time being appointed to act as principal;
- (l) "Statutes" and "Rules" means, respectively, the Statutes and Rules of the University;
- (m) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor/Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a constituent college and includes the principal of a constituent college.
- (n) "University" means the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya established under this Act;
- (o) "State" means State of Uttaranchal;

CHAPTER – II

The University and its objects

3. (i) Shri Vedmata Gayatri Trust shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act. establishment of the University
- (ii) Shri Vedmata Gayatri Trust shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfil the following conditions, viz. :-
- (a) acquire such area of land as it may consider necessary for the establishment of the University;
 - (b) create a permanent endowment fund, general fund and development fund for the purposes of this Act;
 - (c) arrange infrastructure and other facilities necessary for making the University functional;
 - (d) Make the first Statutes and the first Rules; and
 - (e) Such other condition, as may be required by the State Government, to be fulfilled before the establishment of the University;

- (iii) Where the State Government is satisfied that Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj, Haridwar has fulfilled the conditions specified in sub-section (2), the State Government shall issue a certificate of authorisation for the establishment of the University to Shri Vedmata Gayatri trust, Shantikunj, Hardwar.
- (iv) On receipt of the certificate of the authorisation under sub-section (3), Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj, Haridwar, shall establish The University by the name of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya.
- (v) The headquarters of University shall be at Shantikunj, Haridwar (U.A.) and it may also have campuses at such other places within its jurisdiction as it may deem fit.
- (vi) The Chancellor, the Vice-chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the University.
- (vii) On the establishment of the University under sub-section (4), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya for the purpose of the University except the properties of Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj, Haridwar, shall stand transferred to, and vest in the University.
- (viii) The use of land, building & other properties acquired for the University shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired.

University not to be entitled to financial assistance etc.

4.

The University neither made a demand nor shall be entitled to any grant-in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.

No Power to affiliate any institution

5.

The University may have constituent colleges but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.

Objects of the University

6.

Object of the University – The objectives for which the University is established are as follows –

- (a) The objectives of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya are the extensive study, teaching and research of all basic elements of Indian Culture. And according to its motto of *Vasudhaiv Kutumbakam* (World as Family), to benefit the whole humanity spread over all the country and the

world, without any discrimination on the ground of caste, creed, community, gender and religion.

The real meaning of Divine (Indian) Culture (Dev Sanskriti) lies in the virtues, values and traditions, established experintents carried out and experiences felt by the seers, saints and the thinkers of the spiritual land India. Adopting these in life, one can easily develop one's own divinity and success in life.

The main elements of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya will be as follows:-

(1) *Sadhna* :- Modes of worshipping may be varied but sadhna is such a balancing exercise of life, in which experiments relating to the developments of idealistic tendencies are made, which promote human consciousness. Such sadhna will be imparted in the Vishwavidyalaya.

(2) *Health* :- For the betterment of social and spiritual well being and for physically and mentally healthy life arrangement will be made for intrinsic scientific research in Ayurved and other alternative systems of medicine.

(3) *Education* :- Philosophical, literary, scientific, specially moral curricula for training in real sense, the art of living with value based education for the refinement and upliftment of personality will be imparted to all.

(4) *Self reliance* :- The rule of "*Bahujan Hitay Bahujan Sukhay*" which would make the youth valuetrusting, self relying and contented and also favourable to the environment would be introduced and implemented in the course of curriculum.

- (b) to provide for instruction in all branches of humanities, Yagyopathy, Mantra Vigyan etc., medicines including proper stress on Ayurved, Plant kingdom available in Uttaranchal, studies of Vedas, Environmental Science including Yagyopathy, rural and urban development keeping the culture of Uttaranchal in view, Engineering and technology including mitigation of natural calamities, disaster management, self employment through training for rural entrepreneurship development with special reference to Uttaranchal, its climates and geography, information technology for both male and female students in such a way that the essence of self employment is propagated among them. The University will make

- special provisions to promote Bhartiya Sanskriti among the students in special perspective of Uttaranchal culture.
- (c) to provide for instruction & training in such branches of learning as it may deem fit.
- (d) to provide for research for the advancement of and dissemination of knowledge.
- (e) to undertake moral studies & other activities to contribute to the cultural development of society.
- (f) to do all such other acts & operations as may be necessary or feasible in furtherance of the object of the University.

Powers
of the
University

7. The University shall have the following powers, viz, :-

- (a) to provide for instruction in all branches of Indian culture, humanity, information technology and allied fields and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
- (b) to institute and confer degrees or other academic distinctions;
- (c) to hold examinations for, and to grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who-
 - (i) have pursued a course of study in the University or in a constituent college or under a distant education system; or
 - (ii) have carried on research in the University or in a constituent college or under a distant education system;
- (d) to confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the statutes.
- (e) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the statutes.
- (f) to demand and receive such fees and charges as may be fixed by the statutes or rules, as the case may be;
- (g) to make provisions for the advancement of education in Indian Culture and other areas mentioned in clause 6;
- (h) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;
- (i) to make appointments of officers and employees of the University or a constituent college.

- (j) To receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University or a constituent college after the prior permission of Shri Ved-mata Gayatri Trust, Shantikunj, Haridwar.
- (k) To institute and maintain halls and to recognize places of residence for students of the University or a constituent college.
- (l) To supervise and control the residence, and to regulate the discipline of the students of the University or a constituent college and to make arrangements for promoting their health;
- (m) To create administrative, ministerial, class IVth employees and other necessary posts;
- (n) To co-operate or collaborate with other Universities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (o) to provide distant education system;
- (p) to organize and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators and other academic staff;
- (q) to determine standards of admission to the University or a constituent college through specialised committees with the approval of academic council.
- (r) to make special provision for students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories for admission in any course of such University or in a constituent college.
- (s) to lay down conditions of service of all categories of officers/employees of the University or a constituent college;
- (t) To do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
- (u) University should prescribe such courses for Bachelor Degree, Post graduate and Research which would be covered by UGC & AICTE; but University shall have right to start diplomas, certificates etc. in its own subjects;
- (v) The academic activities of the University should be set apart from the activities of the Trust.

University open
to all classes,
castes, creed
and Gender.

8. The University shall be open to all persons irrespective of class, creed or gender :

provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of student belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes of citizens and such other categories as may be specified by the State Government in this behalf :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University or a constituent college to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the statutes.

Residence
of students

9. Every student of the University, other than a student who pursues a course of study by distant education system, shall ordinarily reside in a Hall/Hostel under such terms and conditions as may be prescribed by the rules.

CHAPTER - III

Officers of the University

Officers
of the
University

10. The following shall be the officers of the University :-

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the pro-Vice-Chancellor;
- (d) the Deans of Faculties;
- (e) the Registrar;
- (f) the finance Officer; and
- (g) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The
Chancellor

11. (1) Dr. Pranav Pandya, Trustee of Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj, Haridwar, Uttaranchal, Director - Brahmavarchas Shodh Sansthan and Head, All World Gayatri Pariwar will be the first CHANCELLOR of the Dev Sanskriti University, whose tenure shall be of five years. Thereafter Vedmata Gayatri trust, with the previous consent of the State Government, would appoint CHANCELLOR from amongst its trustees.

(2) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the statutes made there under.

(3) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(4) The Chancellor shall, if present, preside at the

convocation of the University held for conferring degrees and may delegate to any officer of the University such of his powers as he may consider necessary.

12. (i) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2). The Vice Chancellor
- (ii) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, viz, :-
- (a) One person nominated by the Chancellor;
 - (b) the Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
 - (c) three nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the convenor of the committee by the Board of Governors.
- (iii) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of the names of three persons suitable to hold the office of the vice-chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.
- (iv) The Vice-Chancellor shall be the Principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (v) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.
- (vi) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the rules.
- (vii) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges. As he deems fit.

- The Pro-vice Chancellor 13. Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Vice Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed in statutes.
- Deans of Faculties 14. Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed in statutes.
- The Registrar 15. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.
 (2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
 (3) The registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.
 (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.
- The Finance officer 16. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed or may be required by the Chancellor, the Vice-Chancellor or the Registrar.
- Other officers 17. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-IV

Authorities of the University

- Authorities of the University 18. The following shall be the authorities of the University, namely:-
- (a) The Board of Governors;
 - (b) The Board of Management;
 - (c) The Academic Council;
 - (d) The Finance Committee; and
 - (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

19. (1) The Board of Governors shall consist of;
- (a) the Chancellor Chairman
- (b) the Vice-Chancellor Member-Secretary
- (c) Five persons nominated by the Shri Vedmata Gayatri Trust Shantikunj Haridwar;
- (d) Secretary to the State Government in the Higher Education Department.
- (e) A nominee of the U.G.C.
- (f) Two academicians nominated by the Chancellor.
- (g) Three Hon'able members of the legislative assembly of Uttaranchal.
- (2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely :-
- (a) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
- (b) to approve the budget and annual report of the University;
- (c) to lay down policies to be pursued by the University;
- (d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules;
- (e) to take decision about voluntary winding up of the University;
- (f) to approve proposals for submission to the State Government; and
- (g) to nominate an observer or observers who will, time to time, under the advice and directions of the chancellor, decide the policy and frame work within which the board of management, academic council, finance committee and such other authorities as may be declared in the statutes, will function and pass resolutions for the proper administration of the University.
- (3) The Board of Governors shall, meet three times in a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.
20. (1) The Board of Management shall consist of,-
- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) a nominee of the UGC;
- (c) five persons, nominated by the Shri Vedmata Gayatri Trust Shantikunj Haridwar;
- (d) two professors of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year;

The Board of Governors and its powers

The Board of Management

(e) two deans of the faculties as nominated by the Chancellor.

(f) Secretary to the State Government in the Higher Education Department or one officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, Department of Higher Education.

The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.

(2) the powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.

The
Academic
Council

21. (1) The Academic Council shall consist of,-

(a) the Vice-Chancellor Chairman

(b) the Registrar Secretary

(c) such other members as may be prescribed in the statutes.

(2) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the rules, the Statutes and the Acts, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

The
Finance
Committee

22. (1) The Finance Committee shall consist of,-

(a) the Vice-Chancellor Chairman

(b) the Finance Officer

(c) Secretary to the State Government in the Higher Education Department or one officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, Department of Higher Education.

(d) such other members as may be prescribed in the statutes.

(2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, rules, Statutes and Acts, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

Other
Authorities

23. The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Proceedings
not to be
invalidated
on account
of vacancy

24. No Act or Proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

CHAPTER-V

Statutes and Rules

25. Subject to the provisions of this Act, and the rules, the Statutes may provide for any matter relating to the University and staff, in particular, provide for,-
- (a) the procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
- (b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
- (c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
- (d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
- (e) the procedure for resolving of disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;
- (f) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
- (g) the manner of co-operation with other Universities or institutions of higher learning;
- (h) the procedure for conferment of honorary degrees;
- (i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;
- (j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats;
- (k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
- (l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
- (m) procedure for creation and abolition of posts;
- (n) other matters which are to be or may be prescribed.
26. (1) The Statutes shall be made by the Shri Vedmata Gayatri Trust Shantikunj, Haridwar and the Statutes so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within three months from the date of receipt

Statutes

Statutes
how made

of the statutes give its approval with or without modification.

- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the statutes within the period specified under Sub-section (1) it shall be deemed to that the State Government has approved the statutes.

Power to
amend the
Statutes

27. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes.

Acts

28. Subject to the provisions of this Act, the rules and the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
- (b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;
- (c) the award of degrees and other academic distinctions;
- (d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
- (f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;
- (g) the conditions of residence of the students at the University of a constituent college.
- (h) maintenance of discipline among the students of the University of a constituent college;
- (i) all other matters may be provided in the statutes and rules under the Act.

Rules

29. (1) The Rules shall be made by Shri Vedmata Gayatri Trust Shantikunj, Haridwar and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modification.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed that the State Government has approved the rules.

Power to
amend
Acts

30. The Academic Council may, with the approval of the Board of Management, make new or additional rules or amend or repeal

the rules, subject to the approval of the State Government.

CHAPTER-VI

Miscellaneous

31. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned. Conditions of service of employees
- (2) The University is empowered to take disciplinary action against the students/employees as per procedure prescribed in the statutes.
- (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.
- (4) The decision of the tribunal in such matter shall be final.
- (5) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.
32. The University Shall take diciplinary action against any student as per the Statutes and rules. Procedure of disciplinary action against students
33. Every employee or student of the University or of a constituent college shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of management against the decision of any officer or authority of the University or of the principal of any such college, as the case may be, and thereupon the Board of management may confirm, modify or change the decision appealed against. Right to appeal
34. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. Provident funds and pension
35. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final. Disputes as to constitution of University authorities and bodies
36. Whether any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of any Constitution of committees.

- or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case think fit.
- Filling of casual vacancies** 37. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
- Protection of action taken in good faith.** 38. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the statutes or the rules.
- Transitional provisions** 39. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the statutes: -
- (a) the first Vice-Chancellor and pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three years;
 - (b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;
 - (c) the first Board of Governors shall consist of not more than eleven members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years;
 - (d) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years;
- Permanent endowment fund** 40. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees one crore which may be increased Su-Moto but shall not be decreased.
- (2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.
- (3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund. Excepting the dissolution of the University, in no other circumstances can any monies be transferred from corpus of the endowment fund to other purposes.
- (4) Not exceeding 75% of the incomes received from the corpus permanent endowment fund shall be used for the purposes of the development works of the University as mentioned in section 40 (a). The rest 25 % shall be

reinvested into the permanent endowment fund.

41. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely :- General fund
- (a) all fees which may be charged by the University;
 - (b) all sums received from any other source;
 - (c) all contributions made by the Shri Vedmata Gayatri Trust Shantikunj Haridwar; and
 - (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.
- (2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.
42. (1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely :- Development fund
- (a) development fees which may be charged from students;
 - (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
 - (c) all contributions made by the Shri Vedmata Gyatri Trust Shantikunj Haridwar;
 - (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and
 - (e) all incomes received from the permanent endowment fund.
- (2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.
43. The funds established under sections 40, 41 and 42 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors be regulated and maintained in such manner as may be prescribed. Maintenance fund
44. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval. Annual Report
- (2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.
 - (3) copy of the annual report duly approved by the Board of

Governors shall be sent to the State Government.

Account
and audit

45. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.
- (2) The annual accounts and the Balance sheet of the University shall be audited by atleast two auditors, who are members of the Indian Institute of Chartered Accountants every year.
- (3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors.
- (4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the State Government along with its observations thereon.

Mode of proof of
University record

A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the university or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Dissolution of
Shri Ved-mata
Gayatri Trust

47. (1) If Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj Haridwar; proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government.
- (2) On identification of mismanagement, maladministration, indiscipline, failure in the accomplishment of the objects of University & economic hardships in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management system of University. if the directions are not followed within time, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.

(3) On receipt of the notice referred to in sub-station (1), the State Government shall, in consultation with the Council for Technical Education and U.G.C. make such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of Shri Vedmata Gayatri Trust Shantikunj Haridwar; and until the last batch of students in regular Courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the statutes.

48. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over period of its management under section 47 shall be met out of the ~~the~~ permanent endowment fund, the general fund or the development fund.

Expenditure of the University during dissolution of the Shri Vedmata Gayatri Trust

(2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.

(49) (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notification order, make such provisions, not inconsistent or with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no notification order under sub-section (1) shall be made after the expiration period of three years from the commencement of this act

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made; be laid before the State legislature.

50. Ordinance Promulgated by the I.E. The Governor would be deemed Repealed by the Bill.

(SURJIT SINGH BARNALA)
Governor, Uttaranchal.

By Order,
(R. P. PANDEY)
Sachiv.

1000

1000

1000

क्रम संख्या-067 (क-1)

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/02

(लाइसेंस टू पोस्ट विदावट प्रीपेमेंट)



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई0

ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासने

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 215/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002

देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, सन् 2002 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2002)

राज्य में वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तरांचल द्वारा प्रायोजित एक स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों में अग्रोत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के निरपवाद रूप में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

- (1) यह अधिनियम देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।
- (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अध्याय-2

- मूल अधिनियम (1) की धारा-19 में संशोधन
- (1) देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 19 की उपधारा(र) में " कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षा विद् " के स्थान पर " कुलाधिपति द्वारा नामित तीन शिक्षाविद् " रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(आरो पी० पाण्डेय)

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya (First Amendment) Bill, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 06 of 2002) :

No. 215/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002

Dated Dehradun, June 19, 2002

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on June 16, 2002.

THE DEV SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA (FIRST AMENDMENT) ACT, 2002

(Act No. 06 of 2002)

To Further amendment for established a university sponsored by Shri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj, Hardwar to provide matters connected incidental thereto;

AN
Act

It IS HEREBY enacted in the Fifty-Third Year of the Republic of India as follows :-

Chapter-I

Short title and commencement

- (1) This Act may be called the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya (First Amendment) Act, 2002.
- (2) It shall be come into force at once.

Chapter-II

Amendment in section 19 of the principal Act.

- (1). In sub section (f) of Section 19 of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002 instead of " Two academicians nominated by the Chancellor to be inserted " Three academicians nominated by the Chancellor."

By Order,

(R. P. PANDEY)
Sachiv.

